समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

10.2.2014

श्री अर्जुन कुमार, पिता–श्री बृजनन्दन पासवान, सा0–टड़वाँ, पो0–पभेड़ा, थाना–धनरूआ, जिला–पटना से प्राप्त एक एस0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–35/2009 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1938/गो0, दिनांक–31.12.2010 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर के ज्ञापांक–7736/10, दि0–28.12.2010 के द्वारा थानाध्यक्ष, रूपसपुर और पुलिस निरीक्षक, दानापुर के जाँच प्रतिवेदन में आवेदक को शस्त्र अनुहज्ञप्ति निर्गत किए जाने हेतु किसी विशिष्ट कारण का उल्लेख नहीं किए जाने के आधार पर आवेदन पत्र को बिना अनुशंसा के कार्रवाई हेतु भेजा गया है। थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे पी0डब्लू0डी0 में ठीकेदारी करते हैं। आवेदक के पिता के नाम पूर्व से एक एस0बी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति है, जिस पर धारित शस्त्र को अनुज्ञप्तिधारी के मृत्योपरान्त नवीण एण्ड कम्पनी, आग्नेयास्त्र विक्रेता, सालीमपुर, अहरा, पटना में जमा है। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एस0बी0बी0एल0 गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री अर्जुन कुमार, पिता–श्री बृजनन्दन पासवान, सा0–टड़वाँ, पो0–पभेड़ा, थाना–धनरूआ, जिला–पटना के आवेदित एक एस0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।